प्रेस विज्ञप्ति

02.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15.08.2024 को शशि कुमार एम (उम्र 25 वर्ष), सचिन एम (उम्र 26 वर्ष) और किरण एसके (उम्र 25 वर्ष) नामक 03 व्यक्तियों को और 21.08.2024 को चरण राज सी (उम्र 26 वर्ष) नामक 01 व्यक्ति को बेंगलुरु से साइबर निवेश घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को फर्जी और धोखाधड़ी वाले ऐपों के माध्यम से शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए प्रेरित करके धोखा दिया जा रहा है और उनकी मेहनत की कमाई को ठगा जा रहा है। सभी चार आरोपी कंपनियों के निगमन और बैंक खाते खोलने में संलिप्त थे, जिसके माध्यम से साइबर घोटाले से अर्जित अपराध की आय का शोधन किया जाता था। माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु ने इन 04 आरोपियों को 7-7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत विभिन्न परिसरों में अब तक 13 तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई हैं। पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी की जांच में अब तक इस साइबर निवेश घोटाले से **25 करोड़ रुपये** से अधिक की अपराध की आय का पता चला है।

विधेय अपराध के संक्षिप्त तथ्य

इस मामले की पीएमएलए जांच देश भर में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी पर आधारित है। इनमें से कुछ प्राथमिकी में उल्लिखित सामग्री का सारांश इस प्रकार है: -

क) **फरीदाबाद प्राथमिकी** : इस प्राथमिकी में फरीदाबाद की एक पीड़िता को फर्जी ऐप के जरिए शेयरों में निवेश करने के लिए प्रेरित करके घोटालेबाजों ने **7.59 करोड़ रुपये** की ठगी की। पीड़िता ने फेसबुक ब्राउज़ करते समय शेयर मार्केट निवेश लिंक पर क्लिक किया था, जिसके बाद उसे आईसीआईसीआई आईआर टीम **(57)** नामक एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया । उसने कुछ महीनों तक व्हाट्सऐप ग्रुप का निरीक्षण किया और पाया कि व्हाट्सऐप ग्रुप में कई सदस्य (जिन्हें फर्जी संदेश पोस्ट करने के लिए घोटालेबाजों द्वारा जोड़ा गया था) अपने निवेश पर उच्च रिटर्न की रिपोर्ट कर रहे थे। उसे पता नहीं था कि इन लोगों को वास्तव में फर्जी संदेश पोस्ट करने के लिए घोटालेबाजों द्वारा जोड़ा गया था। पीड़िता द्वारा सहमति दिए जाने के बाद, उसे **सी6आरएएम इनवेस्टमेंट अकादमी** नामक एक अन्य व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया ।

व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन ने पीड़िता को **आईसी ऑर्गन मैक्स** नाम का ऐप इंस्टॉल करने और अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐप पर अकाउंट खोलने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन ने पीड़िता को ऐप पर उपलब्ध उनके ग्राहक सेवा नंबर से बैंक खाते (जिसमें धनराशि हस्तांतरित करना आवश्यक है ताकि उसे ऐप में जोड़ा जा सके) का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा। पीड़िता ने ऐप **आईसी ऑर्गन मैक्स** के ग्राहक सेवा द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट नंबर में 61 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिए।

तदोपरांत, पीड़िता को घोटालेबाज द्वारा दिए गए पंजीकरण लिंक का उपयोग करके **टेकस्टार्स.शॉप (Techstars.shop)** नामक एक अन्य ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया । उसने अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इस ऐप पर भी एक खाता खोला और विभिन्न खातों में पैसे हस्तांतरित किए। उच्च रिटर्न के झूठे वादों के तहत उससे कुल **7.59 करोड़ रुपये** ठगे गए, जिसके परिणामस्वरूप

आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120-बी के तहत 29 मार्च, 2024 को प्राथमिकी 040/2024 दर्ज की गई।

ख)**नोएडा प्राथमिकी**: इसी तरह, नोएडा के एक अन्य व्यवसायी से घोटालेबाजों ने 9.09 करोड़ रुपये की ठगी की, जिन्होंने उन्हें **जीएफएसएल सिक्योरिटीज ऑफिशियल स्टॉक सी 80** नामक एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा था । ऊपर वर्णित समान कार्यप्रणाली को अपनाकर, उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और ऐप के ग्राहक सेवा द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में 9.09 करोड़ रुपये हस्तांतरित करवाये गए।

ग) **भटिंडा प्राथमिकी**: इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाकर, पंजाब के भटिंडा में एक डॉक्टर से **5.93 करोड़ रुपये** की धोखाधड़ी की गई, जब उन्हें फेसबुक ब्राउज़िंग के दौरान **जीएफएसएल सिक्योरिटीज** नामक एक फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर उनसे धनराशि हस्तांतरित कराया गया।

विभिन्न अन्य प्राथमिकी में भी जालसाजों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को ठगने के लिए इसी प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई गई है, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी वाले ऐपों के माध्यम से उच्च रिटर्न देने वाले वित्तीय उत्पादों में निवेश के बहाने उनकी मेहनत की कमाई को हस्तांतरित करने हेतु लुभाया गया।

<u>साइबर निवेश धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली</u>

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच से पता चला है कि उपर्युक्त साइबर घोटाले के पीड़ितों को निम्नलिखित तरीके से धोखाधड़ी वाले शेयर बाजार निवेश विकल्पों के माध्यम से धोखा दिया जा रहा है: -

क) **पीड़ितों को लुभाना** : घोटाले के पहले चरण में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पीड़ितों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न, विशेष कोटा के माध्यम से आईपीओ के आवंटन आदि का झूठा वादा करके लुभाया जाता है।

ख) **फर्जी ग्रुप:** एक बार जब पीड़ित अभिरुचि दिखाते हैं, तो ये घोटालेबाज इन पीड़ितों को व्हाट्सऐप/टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देते हैं, इन व्हाट्सऐप ग्रुप में फर्जी और मनगढ़ंत सफलता की कहानियां साझा करने के लिए घोटालेबाजों द्वारा फर्जी सदस्य भी जोड़े जाते हैं। इन व्हाट्सऐप ग्रुप के नाम जाने-माने ऐप/वित्तीय संस्थानों जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जीएफएसएल सिक्योरिटीज, एसएमजी ग्लोबल सिक्योरिटीज, ब्लैकरॉक कैपिटल, जेपी मॉर्गन जैसे नामों से मिलते-जुलते होते हैं, ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि ये ग्रुप असली हैं।

ग) **फर्जी ऐप** : एक बार जब पीड़ित व्हाट्सऐप /टेलीग्राम ग्रुप की वास्तविकता और सदस्यों द्वारा साझा किए गए फर्जी सफलता की कहानियों के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो घोटालेबाज इन पीड़ितों को निवेश के उद्देश्य से धोखाधड़ी वाले ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के उद्देश्य से, घोटालेबाज पीड़ित को व्हाट्सऐप पर लिंक या एपीके फ़ाइल साझा करते हैं। इन ऐपों में दिखाए गए विभिन्न स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरेक्स आदि के नाम प्रसिद्ध कंपनियों (जैसे रिलायंस, टाटा पावर) के नामों के समान होते हैं ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि ऐप असली हैं। ऐसे फर्जी ऐप में से एक का स्क्रीन शॉट इस प्रकार है:-

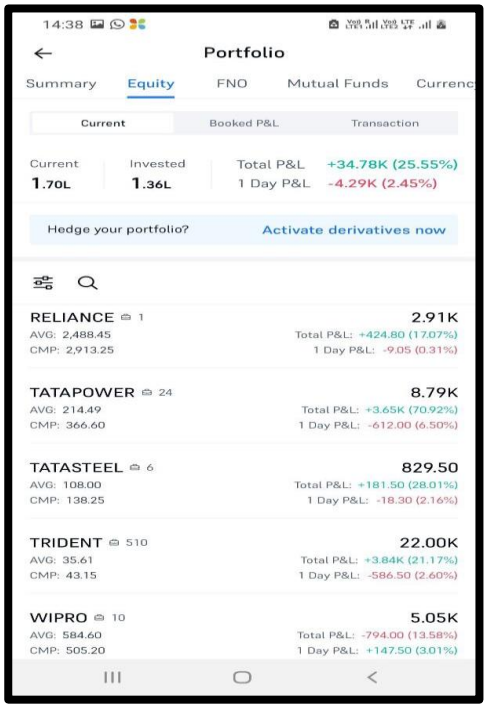

घ) **फर्जी निवेश** : इसके बाद ये घोटालेबाज पीड़ितों को विभिन्न फर्जी आईपीओ स्टॉक, फर्जी स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें साइबर अपराध की आय एकत्र करने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाई गई शेल कंपनियों के बैंक खातों में

उनकी मेहनत की कमाई हस्तांतरित करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार, इन पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई से ठगा जाता है। फर्जी ऐप का एक स्क्रीनशॉट जिसमें फर्जी आईपीओ स्टॉक (असली आईपीओ के समतुल्य नाम वाला) दिखाया गया है, जिसमें पीड़ित ने निवेश किया था, इस प्रकार है: -

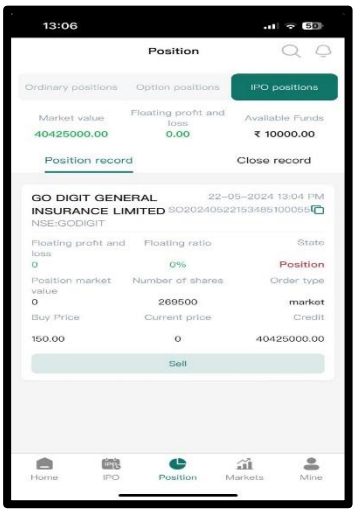

ङ) **धन की हेराफेरी:** विश्वास को और प्रगाढ़ करने के लिए, पीड़ित को शुरुआत में उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसा कि ऐप के डैशबोर्ड में दिखाया गया है, जो उनके विश्वास को और प्रगाढ़ बनाता है और उन्हें अधिक राशि निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये रिटर्न पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं और ये वास्तविकता में मौजूद नहीं होते हैं। ये इन नकली ऐपों पर दिखाए गए संख्या मात्र होते हैं। जैसे-जैसे पीड़ित अधिक धनराशि का निवेश करते हैं, उन्हें अंततः पता चलता है कि वे अपनी धनराशि निकालने में असमर्थ हैं। जब पीड़ित इन ऐपों से अपने पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, तो घोटालेबाज पीड़ितों से वैधानिक कर, ब्रोकरेज शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, जो पीड़ितों से और भी अधिक धन ऐंठने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। जब घोटालेबाज को लगता है कि उन्होंने यथासंभव अधिक धन ऐंठ लिया है, तो वे पीड़ित को असहाय और

बिना किसी समाधान के छोड़कर सभी संपर्क-संचार काट देते हैं और गायब हो जाते हैं। पीड़ित द्वारा अपना पैसा निकालने का प्रयास करने के दौरान ' *कृपया पहले पुनर्भुगतान पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा से संपर्क करें*' संदेश दिखाने वाले ऐप का स्क्रीनशॉट इस प्रकार है:-

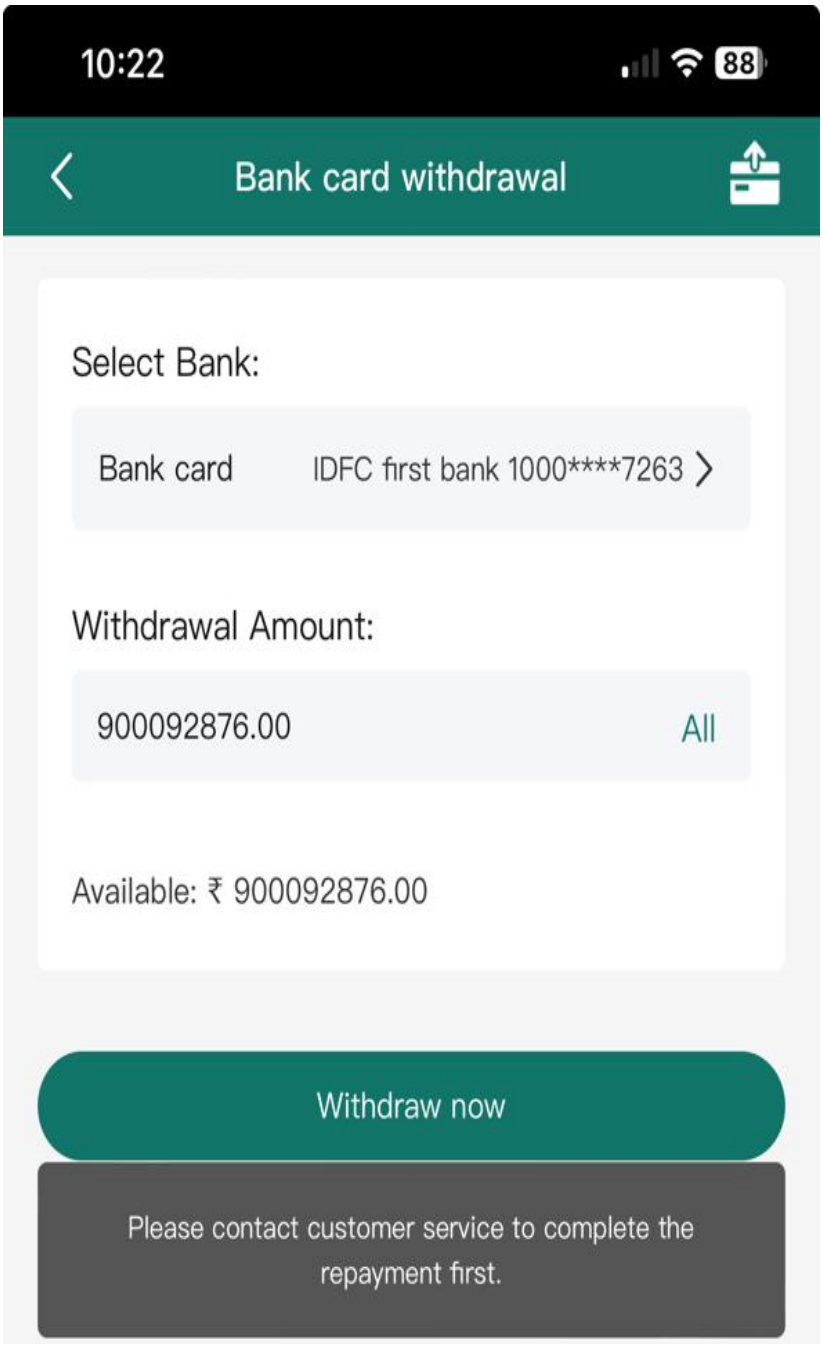

च) संपूर्ण कार्यप्रणाली नीचे चित्र में दर्शाई गई है:

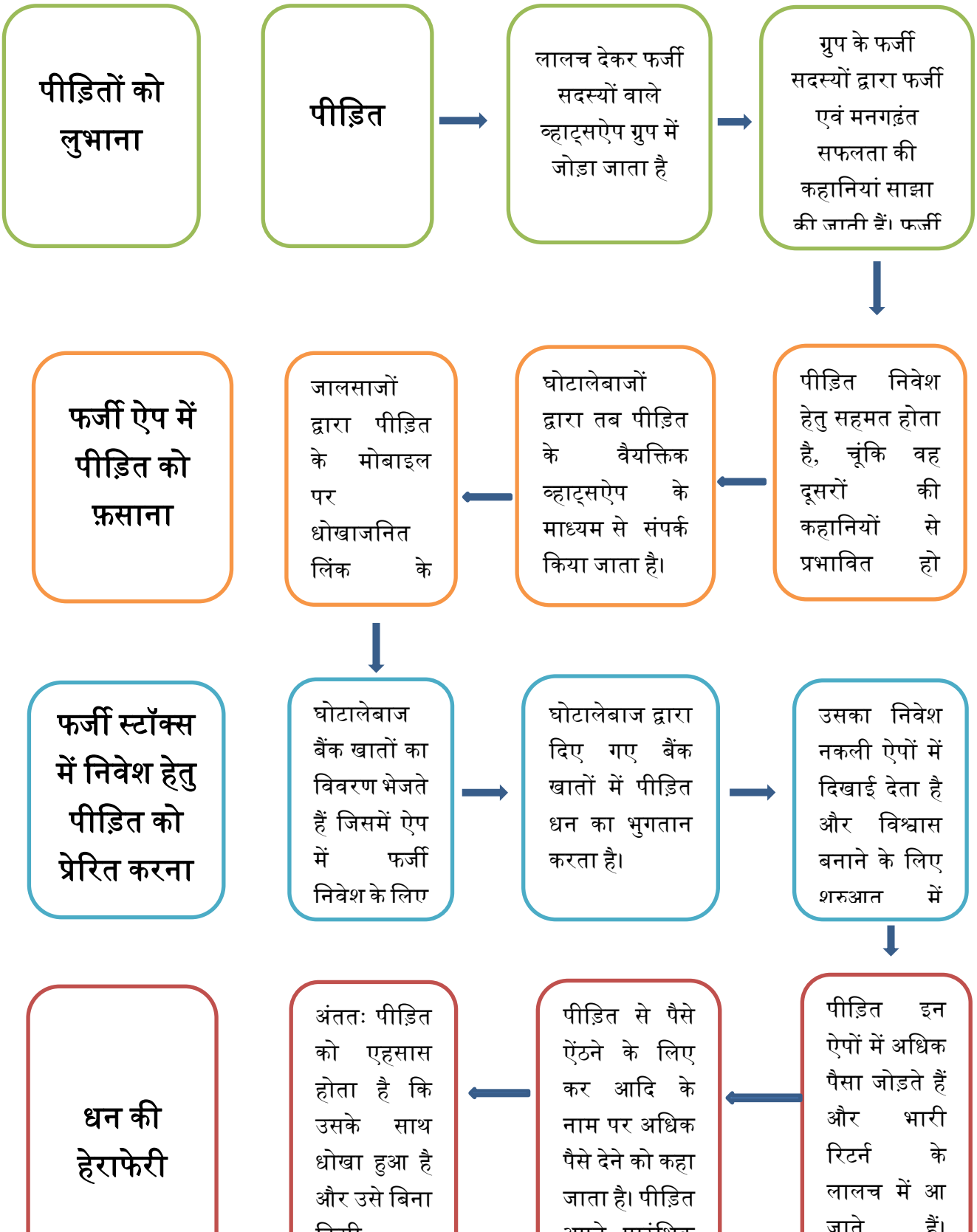

साइबर घोटाला: पीछे का रहस्य

क) सिम कार्ड की व्यवस्था

जालसाज अवैध रूप से सैकड़ों सिम कार्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भारत में विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करते हैं। ऐसे कई टेलीग्राम ग्रुप हैं जहाँ कालाबाज़ारी करने वाले लोग सिम कार्ड उपलब्ध कराते हैं।

टेलीग्राम समूह का स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है:

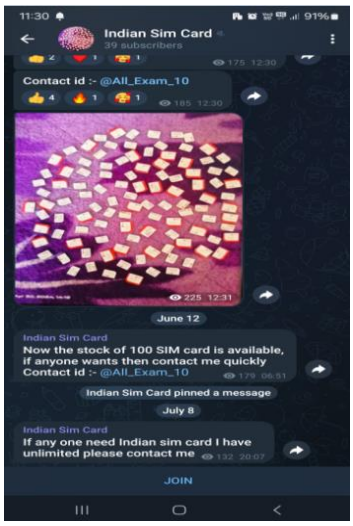

एक्टिवेशन के बाद इन सिम कार्ड को विदेश भेज दिया जाता है। इन सिम कार्ड को या तो विभिन्न शेल कंपनियों के बैंक खातों से जोड़ दिया जाता है या फिर पीड़ितों को ठगने के लिए व्हाट्सऐप अकाउंट बनाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

ख) **शेल कम्पनियों का निर्माण** :

घोटालेबाज विशेष रूप से साइबर घोटालों से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने और हेराफेरी करने के लिए सैकड़ों शेल कंपनियों को निगमित करते हैं। वे इन शेल कंपनियों के निगमन के लिए एक भौतिक/आभासी पता प्रदान करने के लिए सहकार्य स्थलों के पते का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, यह पता चला है कि आईएनसी-20ए फॉर्म (जो कंपनी द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए एमसीए पोर्टल पर दाखिल किया जाना आवश्यक है) दाखिल करने के दौरान, घोटालेबाजों ने शेयरधारकों द्वारा शेयर सदस्यता के प्रमाण के रूप में जाली बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए हैं। जांच में आगे पता चला है कि घोटालेबाज म्यूल बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं जिन्हें टेलीग्राम जैसे चैनलों के माध्यम से किराए पर लिया जाता है। जांच से पता चला है कि अपराध की आय को अंततः क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है और विदेश भेज दिया जाता है ताकि इनका पता ना लगाया जा सके और वसूली से बचा जा सके।

ग) **शेल कंपनियों के माध्यम से धन संचरण**: अपराध की आय को छुपाने के लिए पीड़ितों के खाते से कई मध्यस्थ खातों, जिसमें म्यूल अकाउंट (घोटालेबाजों द्वारा

किराए पर लिया गया) भी शामिल है, के माध्यम से धन हस्तांतरित किया जाता है। इसमें खातों के बीच कई लेन-देन शामिल हैं, ताकि एक जटिल जाल बनाया जा सके, जिससे धन के मूल स्रोत को छुपाया जा सके। संदिग्ध गतिविधि के लिए चेतावनी सक्रियता (अलर्ट ट्रिगर) से बचने के लिए छोटी लेनदेन राशि (5 लाख रुपये से कम) का उपयोग किया जाता है। अवैध धन इन शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा जाता है।

घ) **क्रिप्टोकरेंसी** : जांच का एक मुख्य निष्कर्ष यह है कि इन धोखाधड़ी गतिविधियों से होने वाली आय को ज़्यादातर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था। यह रूपांतरण आरोपियों द्वारा अवैध धन के मूल स्रोत को और अधिक अस्पष्ट करने और उनके भारत से बाहर हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियोजित एक सोची-समझी रणनीति होती थी। आय को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और उन्हें विदेश में हस्तांतरित करने के पीछे, आरोपियों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा धन की पहचान, पता लगाने और वसूली से बचना था।

ङ) **मानव तस्करी और विदेशी क्षेत्राधिकार का उपयोग:**

थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के चौराहे पर स्थित स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्राएंगल) लंबे समय से अवैध गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी शामिल है। भारतीय नागरिकों को नौकरी के प्रस्ताव के बहाने बहकाया जाता है और इस स्वर्ण त्रिभुज में उनकी तस्करी की जाती है और साइबर निवेश घोटाले सहित साइबर धोखाधड़ी के संचालन में उनका शोषण किया जाता है। आपराधिक नेटवर्क इन पीड़ितों को कठिन और प्रपीड़क परिस्थितियों में कॉल सेंटर में काम करने या ऑनलाइन घोटाले में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।